न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर. ए. एस.)
अनुवान :- कृष्णा आदि बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र संख्या :- 144 / 2024
निर्णय दिनांक :-

1. कृष्णा पुत्री महासिंह जाति जाट निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. दुलीचन्द पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. दीपक पुत्र निर्मला जाति जाट निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. पवन कुमार पुत्र महासिंह जाति जाट निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
5. बबली पुत्री निर्मला जाति जाट निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
6. रवि पुत्र निर्मला जाति जाट निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
7. राकेश कुमार पुत्र महासिंह जाति जाट निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
8. वेदकोर पत्नी महासिंह जाति जाट निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
9. सम्पतसिंह पुत्र महासिंह जाति जाट निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट</u>

उपस्थित :- 1. श्री पवन कुमार योगी अभिभाषक वास्ते प्रार्थीगण
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू वास्ते अप्रार्थी

-: निर्णय:-

प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128 129 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि कृषिभूमि खसरा नं. 1306/373 तादादी 2.7945 हैक्टेयर, खसरा नं. 374 तादादी 0.8472 हैक्टेयर, खसरा नं. 966/430 तादादी 0.1517 हैक्टेयर, कुल तादादी 3.7934 हैक्टेयर वाके रोही मौजा कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू की भूमि के खातेदार काश्तकार है। कृषिभूमि खसरा नं. 1306/373 तादादी 2.7945 हैक्टेयर, खसरा नं. 374 तादादी 0.8472 हैक्टेयर, खसरा नं. 966/430 तादादी 0.1517 हैक्टेयर, कुल तादादी 3.7934 हैक्टेयर वाके रोही मौजा कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है उक्त कृषिभूमि के पड़ौसियान हमेशा सींव बाबत प्रार्थीगण के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थीगण अपने खेत के चारो तरफ बाड वगैरह सही ढंग से नहीं कर सकती ना ही अपने खेत को सुधार सकती है। व उक्त कृषिभूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा वना रहता है । प्रार्थीगण की कृषिभूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवा कर इसके चारों ओर पत्थर गढी करवाना चाहती है। आदि-आदि।

इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषिभूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित । राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ ।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया । वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण कृषिभूमि खसरा नं. 1306/373 तादादी 2.7945 हैक्टेयर, खसरा नं. 374 तादादी 0.8472 हैक्टेयर, खसरा नं. 966/430 तादादी 0.1517 हैक्टेयर, कुल तादादी 3.7934 हैक्टेयर वाके रोही मौजा कोहिणा तहसील तारानगर भूमि की रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थीगण की एकल खातेदारी में है। प्रार्थीगण अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहती है। प्रार्थीगण को भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता । प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं ।

वर्णित विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अत: स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए प्रार्थीगण की कृषिभूमि खसरा नं. 292 तादादी 4.6281 हैक्टेयर व खसरा नं. 917/295 तादादी 1.2645 हैक्टेयर रोही कोहिणा तहसील तारानगर की राजस्व नक्शा के मुताबिक पैमाईश कर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करावें। सीमा चिन्हन का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें ।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 28/06/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)